

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिरौही (राज.)
बड़जलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.पत्र संख्या 143/2024
GCMS No. 2024/234

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 दशरथसिंह पुत्र श्री गुमानसिंह देवडा आयु 38 वर्ष जाति राजपूत नि. निम्बोडा तहसील व जिला सिरौही		स्टेट जरिये तहसीलदार सिरौही

उपस्थित :-

- 1- प्रार्थी की ओर से वकील श्री श्रृषि माथूर।
- 2- अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरौही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम 1955
के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत



निर्णय

दिनांक 02-06-2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) की उपधारा (1) काश्त अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत इस न्यायालय में दिनांक 06.12.2024 को पेश किया जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नून पटवार हल्का फुगंणी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालन्द्री तहसील व जिला सिरौही में प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त व हक अधिकार की कृषि भूमि आयी हुई है जिसके खाता संख्या 147 खसरा संख्या 1257 रकबा 1.6200 हेक्टेयर है। प्रार्थी के लिए उसके खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1257 पर आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता अंकित नहीं है। जिससे प्रार्थी उसके खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन ग्राम नून में ही स्थित राजकीय बिलानामा पडत भूमि खसरा नम्बर 1258 की भूमि में से (संलग्न नक्शे में वर्णित A to B रास्ते से पिछले कई वर्षों से आता जाता रहा है। प्रार्थी उक्त A to B रास्ते का उपभोग भी पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त भाग रास्ते के रूप में अंकित नहीं होने से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने मवेशी, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी लाने ले जाने हेतु कई बार समस्याओं का सामना करना पडता है। प्रार्थी एक काश्तकार व्यक्ति भी है जिसके पुरे परिवार का भरण पोषण उक्त कृषि भूमि की आय से होता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी को अपने खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि पर आने जाने, फसल बोन, जोतने हेतु ट्रैक्टर एवम् बैलगाड़ी लाने ले जाने हेतु कदीमी से कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में एंव मौके पर मौजूद नहीं हैं। प्रार्थी को राजकीय बिलानामा कातरा भूमि

(2)

दशरथसिंह बनाम स्टेट
रा.प्रा.पत्र संख्या 143/2024

खसरा नम्बर 1258 की भूमि में आसानी से रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है जिसे संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में मार्क A to B से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये मार्क A to B वाले हिस्से को प्रार्थी के लिए रास्ते हेतु उपलब्ध कराया जाता है तो प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने हेतु और काशत करने जाने हेतु आसानी से रास्ता मिल जावेगा। उक्त रास्ते के जरिये प्रार्थी अपनी आराजी पर ट्रेक्टर, बैलगाड़ी, पशुओं को भी आसानी ला ले जा सकेगा। उक्त रास्ता कायम किये जाने से अप्रार्थी की कृषि भूमि को भी कोई नुकसान नहीं होगा, अप्रार्थी की आराजी यथावत रूप में रहेगी। आवागमन हेतु राजस्व नक्शा ट्रेस में रास्ता अंकित नहीं होने से प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने और काशत में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी कई बार अपनी आराजी पर नहीं पहुँच पाता है जिससे उसकी फसले जल जाती हैं और पशुओं को भी कई बार पानी चारे के अभाव में राते गुजारनी पडती है। प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी लाने ले जाने हेतु रास्ता चाहिए। उक्त रास्ता राजकीय बिलानामा कातरा भूमि खसरा नम्बर 1258 की भूमि नक्शे में वर्णित A to B वाले हिस्से पर 30 फिट चौड़ा कायम किया जा सकता है। खसरा संख्या 1258 की भूमि में से गुजरने वाला उक्त A to B रास्ता जितनी भी लम्बाई का होता है उसे राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करवाना चाहता है इसके लिए प्रार्थी राज्य सरकार के आदेशानुसार शुल्क अदा करने हेतु तैयार है।



अतः प्रार्थी का उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नून पटवार हल्का फुगानी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालन्दी तहसील सिरौही जिला सिरौही (राज.) में स्थित प्रार्थी के खातेदारी और कब्जे काशत की कृषि भूमि खसरा संख्या 1257 पर आने जाने हेतु राजकीय बिलानामा पडत भूमि खसरा नम्बर 1258 की कृषि भूमि में दर्शाए संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार मार्क A to B हिस्से में 30 फिट चौड़ा और मौके अनुसार लम्बे रास्ते को नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता अंकित किए जाने के आदेश पारित करना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व फार्म नंबर 3 में संलग्न जमाबन्दी प्रतियां, नक्शा प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयां आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2024 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरौही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने से शा.मि. किये गये। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने तहसीलदार सिरौही की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित में समय दिया गया।

उक्त प्रकरण में इस न्यायालय में सुनवाई पेशी दिनांक 13-05-2025 को अप्रार्थी ओर से जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरौही ने अपने जवाब में कथन किया कि ग्राम नून में तहसील सिरौही के खाता सं० 147 के अनुसार खसरा नम्बर 1257 रकबा 1.6200 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। इसी प्रकार अप्रार्थी के नाम खसरा संख्या 1258 रकबा 0.3500 हेक्टेयर किस्म बरानी-3 व खसरा संख्या 1259 रकबा 0.1500 हेक्टेयर किस्म गै.मु.सडक दर्ज है। मौका एवं रेकॉर्ड जांच अनुसार पाया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या

(3)

दशरथसिंह बनाम स्टेट
रा.प्रा.पत्र संख्या 143/2024

1257 में मुख्य सड़क खसरा नम्बर 1259 किस्म गै.मु.सड़क से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1258 बिलानाम सरकार दर्ज भूमि किस्म बरानी-3 में से आवागमन किया जाता है। इसके अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु राजस्व रेकॉर्ड में अन्य कोई वैकल्पिक अथवा रेकॉर्डेड मार्ग उपलब्ध नहीं है। संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। मुख्य रास्ता खसरा संख्या 1259 गै.मु.सड़क से आगे खसरा संख्या 1258 में होकर आवागमन हेतु अनुमत किये जाने वाले रास्ते हेतु भूमि का परिकलन निम्न प्रकार है

खसरा संख्या 1258 में से लम्बाई 60 मीटर × चौड़ाई 5 मीटर = 300 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0300 हेक्टेयर।

विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली वास्ते वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार की उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस दिनांक 13-05-2025 को रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने न्यायालय में हाजिर होकर उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए आर.टी एक्ट पर अंतिम बहस करने से बहस सुनी गई। दौरान बहस उभयपक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र व जवाब के तथ्यों को दोहराया।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मुल पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व संलग्न राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी व संलग्न नक्शा ट्रेस का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि अप्रार्थी स्टेट की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार तहसीलदार सिरोही ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है तथा पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस में तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में खातेदारी भूमि में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। अतः प्रार्थी को उसके खातेदारी आराजी में से होकर आने जाने के लिए मवेशी टेक्टर बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिए आत्यातिक आवश्यकता होने से एव वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्ध नहीं होने से तथा तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में भी रास्ता मौके एव रेकॉर्ड में नहीं होना बताया है इस कारण तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरुद्ध अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एव तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी को उनके खातेदारी कृषि भूमि मौजा नून के खसरा नम्बर 1257 में आने-जाने हेतु मौजा नून के खसरा नम्बर 1258 बरानी-3 में से लम्बाई 60 मीटर × चौड़ाई 5 मीटर = 300 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0300 हेक्टेयर का मार्ग दिया जाना उचित होने से नियमानुसार रास्ता के लिये स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की



Handwritten signature or mark in blue ink.

(4)

दशरथसिंह बनाम स्टेट
रा.प्रा.पत्र संख्या 143/2024

धारा 251 (क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र कमाक प. (52) राज-6/4 दिनांक 14.06.2013 बाबत राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध में दिये गये प्रावधानों अनुसार उक्त रास्ते की भूमि स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोंही को आदेश दिये जाते हैं (क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विद्यमान मार्ग के विस्तार या चौड़ा करने के मामले में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खड़े वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी

तहसीलदार सिरोंही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोंही में जमा करवाने पर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोंही को उपरोक्तानुसार राजकीय बिलानाम भूमि मौजा नून तहसील व जिला सिरोंही के खसरा नम्बर 1258 बरानी-3 में से लम्बाई 60 मीटर × चौड़ाई 5 मीटर = 300 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0300 हेक्टेयर का मार्ग दिया जाना उचित है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की कीमत राशि अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोंही को उपरोक्तानुसार भूगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार सिरोंही को आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि कम कर राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मूमकीन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते में दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 02-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की मील मुहर से जारी किया गया

(हरि सिंह देवल)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोंही (सब.)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलेक्टर
सिरोंही (सब.)